

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०-भवन/स्था०-०१-विविध-९४४/२०१२-११८१(अ) पटना, दिनांक ७.१०.१६

अधिसूचना

श्री अवध किशोर, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के द्वारा भवन प्रमंडल, औरंगाबाद में अपने पूर्व के पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गई स्वेच्छाचारिता एवं अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मियों का वेतन भुगतान लम्बित रखे जाने तथा आपसी समन्वय के अभाव के कारण भवन प्रमंडल, औरंगाबाद में कार्य संस्कृति दूषित करने के लिए उन्हें लिखित चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता है। यह दंड इनके सेवा पुस्त में संधारित होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

७.१०.१६

(उमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- ११८२ (अ)

पटना, दिनांक- ७.१०.१६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

७.१०.१६

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- ११८२ (अ)

पटना, दिनांक- ७.१०.१६

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

७.१०.१६

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- ११८२ (अ)

पटना, दिनांक- ७.१०.१६

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी निगरानी/श्री अवध किशोर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल औरंगाबाद/ आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

७.१०.१६

सरकार के संयुक्त सचिव।